नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिवक्ताओं के साथ हुई बैठक

भास्कर न्यूज, गाडरवारा| म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एमके शर्मा की अध्यक्षता में आगामी 9 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण हेतु बैठक का आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा द्वारा अधिवक्ता संघ के मीटिंग हॉल में किया गया। बैठक का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला न्यायाधीश एमके शर्मा द्वारा किया गया। ÷परस्पर सामंजस्य से विवाद का निराकरण पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार की शत्रुता एवं वैमनस्यता को जड से नष्ट कर देता है, अतः सुलह समझौते जैसे वैकल्पिक समाधान माध्यमों का चयन विवाद हीन वातावरण के सृजन हेतु सहायक होते हैं। इससे समाज में सौहाद्रपूर्ण वातावरण निर्मित होता है÷ यह विचार प्रधान जिला न्यायाधीश एमके शर्मा ने मध्यस्थता एवं सुलह को प्रोत्साहित कर विवादों के सामंजस्यपूर्ण निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत की बैठक में व्यक्त किए। उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा उनके समक्ष प्रकट की गई उत्सुकता एवं समस्याओं के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश ने मार्गदर्शन देकर तत्काल समाधान किया।

कार्यक्रम में तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा के अध्यक्ष मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रथम जिला न्यायाधीश गाडरवारा ने आगामी नेशनल लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण की अपील की। कार्यकम में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वैभव सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित नेशनल लोक अदालत विवादों का निपटारा करने का एक वैकल्पिक तरीका है। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बीएन सिंह ने आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामें से कराए जाने के बारे में पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया। कार्यक्रम के अंत में अधिवक्ता संघ के सचिव महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने आभार प्रकट किया। कार्यकम में राजेश शर्मा चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, रोहित सिंह जिला रजिस्ट्रार, एवं अन्य न्यायाधीशगण श्रीमति आरती ढींगरा, अश्विन परमार, सुश्री भानु पण्डवार, श्रीमति भारती केशरी कश्यप गाडरवारा, राजेश सक्सेना विधिक सहायता अधिकारी एवं अधिवक्ता संघ से समस्त अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

क्लासीफाइड

आवश्यकता है

ज्योतिदीप होम एप्लायंसेस प्रा.लि. कंपनी में सेल्स एवम मार्केटिंग कार्य हेतु नवयुवक एवं युवतियों की न्यूनतम 10वीं से ग्रेजुएशन, वेतन 12000 से 25000 प्रतिमाह, ड्राइवर वेतन 7000/- कार्यक्षेत्र संपूर्ण